पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

प्रवेश नियम
एवं
मार्गदर्शी सिद्धान्त

सत्र : 2026–27

प्रवेश के लिये प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त
(सत्र 2026–2027)

1. प्रयुक्तिः–

प्रवेश के लिए प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त विश्वविद्यालयों में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक–6 एवं 7 के प्रावधानों के तहत् सहपाठित करते हुए लागू होंगे।

1.1. प्रवेश उपरांत गरिमामयी प्रवेश उत्सव अयोजित किये जाएंगे, जिसमें प्रथम वर्ष के प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शी व्याख्यान दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

2. पोर्टल की जानकारीः–

पंजीयन हेतु प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट https://ptsnsuniversity.ac.in पर उपलबध रहेगी।

3. आयु संबंधी प्रावधानः–

विद्यार्थियों के लिये आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

4. स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश हेतु पात्रताः–

4.1 स्नातक स्तर हेतु :–

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगी :–

स.क्रं.	10+2 अर्हकारी परीक्षा	स्नातक कक्षा में प्रवेश
1	विज्ञान	विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय /वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय
2	वाणिज्य	वाणिज्य संकाय/कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय
3	कला	कला संकाय/गृह विज्ञान संकाय
4	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान संकाय/कला संकाय
5	कृषि	कला संकाय/बी.एस.सी. (जीव विज्ञान समूह, (जीव विज्ञान समूह के एलाइड विषयों जैसे – माईक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नॉलाजी, सीड टेक्नॉलाजी आदि विषय) टीप :– म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 394/73/सी.सी.2017 दिनांक 03.05.2018 के अनुसार)
6	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	कला संकाय/ वाणिज्य संकाय / विज्ञान संकाय / गृह विज्ञान संकाय अंकसूची में दर्शित विषयों के अनुसार इस हेतु (बिन्दु क्र. 4.1.6 का अवलोकन करें)
7	बीपीईएस	**किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से** (10+2) ;**इंटरमीडिएट** परीक्षा **उत्तीर्ण होना चाहिए, 12वीं कक्षा में कुल 40% अंक होना आवश्यक है।**
8	बी.बी.ए.	उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं में न्यूनतम 50% अंक अनारक्षित एवं (आरक्षित वर्गों के लिए 45%) होने चाहिए।

नोट :– BCA के पाठ्यक्रमों में प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के नियमों के आधार पर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

4.1.1 **पात्रता प्रमाण–पत्र संबंधी स्पष्टीकरण :–**

10+2 का तात्पर्य मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित या अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड या 12 वी बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

स्पष्टीकरण – मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी. एस.ई./आई.सी.एस.ई./एम.पी.बोर्ड से मुक्त बोर्ड /एम.पी. बोर्ड. पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य बारहवीं उत्तीर्ण (10+2) का विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रवेश से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिसे ऑनलाईन प्रवेश के समय विद्यार्थी को अपलोड करना होगा।

4.1.2 आई.टी.आई. उत्तीर्ण आवेदक 12 वीं (10+2) समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

4.1.3 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रं. 667 / 175 / सीसी /18/38, दिनांक 10.07.2018 द्वारा बी.सी.ए. में प्रवेश हेतु (10+2) परीक्षा किसी भी संकाय (कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीवविज्ञान) में उत्तीर्ण विद्यार्थी गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

4.1.4 मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से पूर्व के हायर सेकेण्ड्री (ग्यारहवीं) उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

4.1.5 यू.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

4.1.6 व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण आवेदक – माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय जैसे लेबोरिट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयोलाजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिंग ऑफ डाटा–प्रोसेसिंग मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी. टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित है। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रम (10+2) के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित कार्य में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाइन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण–पत्र संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र को अंतिम माना जायेगा।

4.2 स्नातकोत्तर स्तर (दो वर्षीय/4 सेमेस्टर) हेतुः–

स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एम.ए./एम.कॉम. /एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी।

स्नातकोत्तर स्तर (दो वर्षीय/4 सेमेस्टर)		
स.क्रं.	**कक्षा**	**अर्हकारी परीक्षा**
1	एम.कॉम. प्रथम सेमेस्टर	बी.कॉम/बी.कॉम (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बी कॉम में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET की परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2	एम.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर	बी.एस.सी संबंधित विषय के साथ (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बी.एस.सी में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3	एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम सेमेस्टर	बी. एस.सी. (गृहविज्ञान) (तीन वर्षीय) में जातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स) **अथवा** राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार वीएलसी में गृहविज्ञान विषय के साथ स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर वा माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET की परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
4	एम.ए. प्रथम सेमेस्टर	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय) में स्नातक की डिग्री (ओल्ड कोर्स) अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कला में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माइनर विषय में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र है। अथवा सम्बन्धित विषय में CUET की परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
5	एम.एस. डब्ल्यू.	स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय), पात्रता हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत समकक्ष ग्रेड आवश्यक अथवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कला/ BSW में **स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण विद्यार्थी मेजर या माईनर विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये पात्र है अथवा** सम्बन्धित विषय में CUET की परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
6	एम.बी.ए.	किसी भी विषय (फाइन आर्ट को छोड़कर) में ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसमें उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों।
7	एम.पी.ई.एस.	1. कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बीपीईएस/बीपीएड/बीपीईएड) अथवा समकक्ष अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विज्ञान में स्नातक। 2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए अर्हताकारी अंकों में 05 प्रतिशत की छूट रहेगी।
स्नातकोत्तर स्तर (एक वर्षीय/2 सेमेस्टर)		
1	एम.कॉम. स्नातकोत्तर (एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.कॉम. ऑनर्स (4 वर्षीय) अथवा बी.कॉम ऑनर्स विथ रिसर्च (4 वर्षीय)
2	एम.एस.सी. स्नातकोत्तर (एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.एस.सी. ऑनर्स (4 वर्षीय) अथवा बी.एस.सी. ऑनर्स विध रिसर्च। (4 वर्षीय)
3	एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) स्नातकोत्तर (एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.एस.सी. गृहविज्ञान ऑनर्स (4 वर्षीय)अथवा बी.एस.सी. गृहविज्ञान ऑनर्स विथ रिसर्च। (4 वर्षीय)
4	एम.ए. स्नातकोत्तर (एक वर्षीय)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सम्बन्धित विषय में बी.ए. ऑनर्स (4 वर्षीय) अथवा बी.ए.ऑनर्स विथ रिसर्च। (4 वर्षीय)

5	बी.लिब. (एक वर्षीय)	1. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय), **अ.** सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत अनिवार्य होंगे। **ब.** अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।
6	एम.लिब. (एक वर्षीय)	1. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण (तीन वर्षीय), 2. B.Lib.I.Sc. **या** B.Lib.Sc. **की डिग्री होना अनिवार्य है** **अ.** सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत अनिवार्य होंगे। **ब.** अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट रहेगी।

4.2.1 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधी स्पष्टीकरणः– मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4.2.2 पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार ही विद्यार्थी पात्र होंगे।

5. प्रवेश प्रक्रिया :–

- स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (दो वर्षीय/चार सेमेस्टर), स्नातकोत्तर (एक वर्षीय/दो सेमेस्टर) एवं सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2026–27 हेतु ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था है। सत्र 2026–27 में प्रवेश दो चरण ऑनलाईन माध्यम से दिए जाएंगे एवं तत्पश्चात् जिन पाठ्यक्रमों में स्थान रिक्त होंगे उनमें स्पॉट एडमीशन चरण में प्रवेश दिए जा सकेंगे। ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था में सर्वप्रथम आवेदक को अपना ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से जारी समय सारणी अनुसार निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः कराना होगा।
- प्रथम चरण के समाप्त होते ही जिन आवेदकों ने प्रवेश नहीं लिया अथवा शुल्क भुगतान नहीं किया है, वे आवेदक द्वितीय चरण में च्वाइस फिलिंग करा सकेंगे।

5.1 पंजीयन, पंजीयन शुल्क भुगतान एवं नामांकन प्रक्रिया :–

5.1.1 विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय–सारणी अनुसार आवेदक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। आवेदक अपना पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं या कियोस्क द्वारा कर सकेंगे।

5.1.2 पंजीयन के पश्चात आवेदक आवेदन का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर समस्त प्रविष्टियों जैसे–नाम, माता–पिता का नाम, जन्मतिथि (जन्म प्रमाण पत्र/10 वीं/12 वीं की अंकसूची के अनुसार) श्रेणी, वर्ग, प्राप्तांक, मोबाइल नम्बर एवं अधिभार प्रमाण–पत्र की जानकारी इत्यादि की सावधानीपूवर्क जाँच कर लें एवं सुनिश्चित करें कि दर्ज जानकारी एवं स्पेलिंग पूर्णतः सही है। **दर्ज प्रविष्टियों की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।**

5.1.3 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष /सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ/पंचम सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम अथवा वार्षिक पद्धति के प्रथम एवं द्वितीय

वर्ष/सेमेस्टर पद्धति के प्रथम से चतुर्थ/पंचम सेमेस्टर के कुल प्राप्ताकों के आधार पर प्रावीण्यता निर्धारित की जाएगी।

5.1.4 पंजीयन शुल्क का भुगतान समय–सारणी अनुसार, चरणवार निम्नानुसार देय होगा :–

स. क्रं.	चरण	शुल्क	विशेष
1	प्रथम चरण में पंजीयन	100/–	समस्त छात्राओं को निःशुल्क
2	द्वितीय एवं अन्य स्पॉट एडमीशन राउंड में पंजीयन	150/–	समस्त आवेदकों को
3	पोर्टल शुल्क	50/–	सभी चरणों के लिए

आवेदकों द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से ही किया जा सकेगा, तत्पश्चात् ही ऑनलाइन ई–सत्यापन होगा।

5.2 पंजीयन हेतु पूरक प्राप्त विद्यार्थियों संबंधी निर्देशः–

कक्षा 12 वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रावधिक प्रवेश के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य है। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया स्पॉट एडमीशन राउंड की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया संचालन के मध्य पूरक परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उन्हें आगामी चरण/सी.एल.सी. में अपने ऑनलाइन आवेदन को अद्यतन करना होगा एवं पाठ्यक्रम की च्वाईस फिलिंग एवं दस्तावेज/प्रमाण–पत्र को स्कैन कर अनिवार्यतः अपलोड करना होगा।

5.2.1 प्रवेश प्रक्रिया के स्पॉट एडमीशन चरण तक आवेदकों के पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित न होने की स्थिति में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में स्थान रिक्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिया जाएगा।

5.3 पंजीयन हेतु आवश्यक प्रमाण–पत्र/दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रियाः–

ई–सत्यापित आवेदकों को कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा केवल अधिभार के इच्छुक आवेदकों के संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिन आवेदकों का ई–सत्यापन नहीं हुआ है ऐसे आवेदकों को पंजीयन के समय ई– सत्यापन हेतु निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा। (स्पष्ट एवं पठनीय)–

(1) **अंकसूची–न्यूनतम अर्हकारी परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हेतु बारहवीं, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम सेमेस्टर।**

(2) जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) यदि लागू हो तो।

(3) संवर्ग प्रमाण–पत्र–(दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संबंधी/उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पाल्य आदि) यदि लागू हो तो।

(4) जन्म तिथि प्रमाण पत्र ।

(5) अधिभार संबंधी प्रमाण–पत्र, यदि लागू हो तो।

अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में निर्देश एवं स्पष्टीकरण

5.3.1 अंक सूची संबंधी :–

(अ) स्नातक स्तर में कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण आवेदकों की मूल अंकसूची के अभाव में पंजीयन के समय आवेदक की इन्टरनेट से डाउनलोड की गई स्वप्रमाणित अंकसूची मान्य होगी।

(ब) स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक अंतिम वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु स्नातक द्वितीय वर्ष/पंचम सेमेस्टर की अंकसूची के साथ तृतीय वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर की नेट से डाउनलोड की गई अंकसूची को स्वसत्यापित करने के बाद एक साथ दोनों अंकसूची स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(स) स्नातकोत्तर एक वर्षीय स्तर में प्रवेश हेतु स्नातक ऑनर्स/ऑनर्स विथ रिसर्च का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में आवेदक प्रवेश हेतु तृतीय वर्ष/षष्ठम (छठवें) सेमेस्टर की अंकसूची के साथ तृतीय वर्ष/षष्ठम (छठवें) की नेट से डाउनलोड की गई अंकसूची को स्वसत्यापित करने के बाद एक साथ दोनों अंकसूची स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

5.3.2 जाति प्रमाण–पत्र संबंधी :–

आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 352/243/ आउशि/शा–5अ/2019, भोपाल दिनांक 13.06.2019 के अनुक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के पास उनके स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आवेदक के पिता के नाम पर जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र को प्रवेश आवेदन में पंजीयन हेतु मान्य किया गया है।

(अ) ऑनलाइन पंजीयन के समय आवेदक के स्वयं के नाम का जाति प्रमाण न होने की स्थिति में पिता के नाम का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। उसके पश्चात् ही प्रवेश हेतु जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(ब) आवेदक का डिजिटल जाति प्रमाण पत्र न होने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पूर्व के वैध जाति प्रमाण पत्र भी सत्यापित हेतु मान्य किये जावेंगे।

5.3.3 अधिभार हेतु प्रमाण पत्र संबंधी :–

(अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2021–23 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2022–23 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(स) एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में दिया जावेगा। आवेदक सर्वाधिक अधिभार वाला प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड करें।

(द) अधिभार का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्रं. 27 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें।

5.3.4 मूल निवासी संबंधी :–

मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें पंजीयन के समय मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः अपलोड करना होगा, अन्यथा उन्हें मध्यप्रदेश के मूल निवास का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5.3.5 **संवर्ग प्रमाण पत्र संबंधीः-** संवर्ग प्रमाण पत्र का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक मार्गदर्शिका के बिंदु क्र. 25 का आवश्यक रूप से अवलोकन करें तत्पश्चात् ही पंजीयन के समय प्रमाण पत्र अपलोड करें। (सैनिक/प्रतिरक्षा कर्मचारी/ विधवा / परित्यक्तता वर्ग आदि), यदि लागू हो तो)

5.3.6 **आय प्रमाण-पत्रः-** नवीनतम आय प्रमाण-पत्र, अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) ई.डब्ल्यू.एस. (EWS) के आवेदकों के लिये स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र संलग्न प्रारुप 6 अनुसार (क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02.11.2017)

5.4 पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया :–

(अ) पंजीकृत आवेदकों को सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न की जावेगी।

(ब) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में सत्यापन की प्रक्रिया हेतु स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म का अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन सत्यापन किया जावेगा।

(स) आवेदक पंजीयन के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों/अधिभार हेतु मूल दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेंगे। **आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड प्रमाण पत्र/दस्तावेज पूर्णतः स्पष्ट एवं पठनीय हो।**

5.4.1 ऑनलाइन सत्यापन संबंधी निर्देश :–

(अ) ऑनलाइन सत्यापन हेतु प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदकों के पंजीयन फार्म के सत्यापन हेतु अपलोड किए गए प्रमाण–पत्र/दस्तावेजों का परीक्षण सत्यापन अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ब) सत्यापन अधिकारी ऑनलाइन सत्यापन संबंधी कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा से एक दिवस पूर्व तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

(स) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

5.4.2 असत्यापित/त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी युक्त आवेदन संबंधी निर्देशः–

(अ) यदि किसी आवेदक के पंजीयन आवेदक फार्म में त्रुटि है या अपलोड किए गए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज अस्पष्ट/अपर्याप्त/अपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदन फार्म का ऑनलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण/असत्यापित आवेदन फार्म की सूची में रखेंगे। ऐसे आवेदक जिनके दस्तावेजों में अस्पष्टता या त्रुटि पाई जाती है, इस आशय की सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर संदेश प्रेषित किया जायेगा।

(स) आवेदक का फार्म ऑनलाइन सत्यापित होते ही इसकी सूचना आवेदक के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर संदेश के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।

(द) निर्धारित तिथियों में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदकों को ही गुणानुक्रम अनुसार में प्रवेश आवंटन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

5.5 प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम एवं प्राथमिकता का निर्धारण –

(अ) **गुणानुक्रम का निर्धारण** -प्रवेश के लिए अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार यदि कोई देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र अंकों के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा। सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी। शीट आवंटन मेजर विपय के आधार पर किया जायेगा।

(ब) **स्नातकोत्तर (द्विवर्षीय) में प्राथमिकता का निर्धारण** -किसी एक विषय में स्नातकोत्तर (द्विवर्षीय) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर (द्विवर्षीय) में स्थान रिक्त रहने की दशा में ही पात्रतानुसार सी.एल.सी. चरण में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदक प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे परन्तु आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया सी.एल.सी चरण की निर्धारित समय सीमा में ही कर सकेंगे।

(स) प्रवेश हेतु सीट आवंटन प्रक्रिया -

(अ) प्रथम चरण में सभी ई-सत्यापित आवेदकों को गुणानुक्रम एवं उनके संकाय विषय एवं विश्वविद्यालय के विकल्प के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रवेश आवंटन ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी अनुसार पोर्टल पर जारी किये जायेंगे।

(ब) इसकी सूचना आवेदकों को उसके द्वारा पंजीयन के समय दर्ज मोबाईल नम्बर पर संदेश के द्वारा दी जावेगी।

(स) आवंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रवेश के लिए आवेदकों को आवंटित विश्वविद्यालय में जाने प्रवेश शुल्क भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक ऑनलाइन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक कर सकेंगे।

(द) अर्हकारी परीक्षा के परिणाम घोषित न होने पर आवेदक मूल टीसी माइग्रेशन के स्थान पर शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।

(य) ऑनलाइन विषय चयन के उपरांत प्रवेश शुल्क (संबंधित विश्वविद्यालय के नामांकन शुल्क सहित का भुगतान विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल विकल्पों का उपयोग करते हुए समय-सारणी अनुसार निर्धारित तिथि तक कर सकेंगे।

(र) प्रवेश पोर्टल से शुल्क जमा करने की पुष्टि होने पर ही आवेदक का नाम विश्वविद्यालय के प्रवेश सूची में दर्शित होगा।

5.6 महाविद्यालय/संकाय आवंटन पश्चात प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा विषय चयन किये जाने संबंधी निर्देशः–

5.6.1 आवेदकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्नातक प्रथम वर्ष के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सर्वप्रथम ऑनलाइन विषय की प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व पात्रतानुसार तीन मुख्य विषय पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। आवेदक उपलब्ध तीन विषयों में से मेजर 1 के साथ मेजर 2/ माइनर एवं वैकल्पिक विषय का चयन कर सकेंगे। इसके साथ ही आवेदक को विश्वविद्यालय में संचालित व्यावसायिक विषय में से एक व्यावसायिक विषय एवं प्रोजेक्ट/इन्टर्नशिप/ अप्रेन्टिसशिप/ कम्यूनिटी इमेजमेंट में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य होगा।

5.6.2 आवेदक द्वारा विषय चयन करने के उपरांत ऑनलाइन प्रवेश/नामांकन शुल्क के लिए लिंक स्वतः इनिशिएट हो जावेगी। आवेदक ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे।

5.6.3 ऑनलाइन (प्रवेश शुल्क एवं नामांकन शुल्क भुगतान प्रक्रिया)

(अ) आवेदक द्वारा पंजीयन करते समय छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु पूर्व (माध्यमिक स्तर पर) में प्रदान की गई स्कॉलरशिप आई.डी. दर्ज करना होगा।

(ब) ऐसी बालिकाएं जिन्होंने स्कूल स्तर पर लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लिया है। प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व लाडली लक्ष्मी योजना का चयन कर लाभ प्राप्त कर सकेंगी।

(स) चयनित विषय के आधार पर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यू.पी.आई के माध्यम से स्वयं कर सकेगा।

(द) प्रवेश शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदक को प्रवेश प्राप्त होने की सूचना पंजीकृत मोबाइल/ई-मेल पर प्राप्त होगी।

5.6.3 शुल्क भुगतान उपरांत ऑनलाइन एडमिशन स्लिप के प्रिंट आउट लेने संबंधीः–

आवेदक द्वारा ऑनलाइन एडमिशन स्लिप का प्रिंट आउट ई–प्रवेश पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात प्राप्त किया जा सकेगा, यह प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे आवेदक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उने प्रवेश की प्रविष्ट पोर्टल पर हो चुकी हैं। एडमिशन स्लिप का बाद में भी पंजीयन क्रमांक एवं आई. डी. पासवर्ड डालकर पोर्टल से प्रिन्ट लिया जा सकता है। आवेदक को प्रवेश रसीद का प्रिंट लेने के तत्काल बाद विश्वविद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

5.6.4 प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की दशा में आवश्यक निर्देशः–

आवेदक द्वारा पोर्टल के माध्यम से किये गये पंजीयन/प्रवेश शुल्क का ट्रंजेक्शन यदि फेल होता है तो इस राशि की वापसी उसी बैक खाते में आयेगी जिस बैंक खाते से आवेदक ने भुगतान किया है। प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश

सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन के फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा।

5.6.5 शैक्षणिक सत्र 2026–27 में ऑनलाइन प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रवेश रसीद (Admission slip), मूल टी.सी एवं अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति विश्वविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता होगी।

5.7 विश्वविद्यालय में संचालित सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया :–

विश्वविद्यालय में संचालित छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

6. ऑनलाइन स्पॉट एडमीशन चरण में विश्वविद्यालय के रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु पुनः विकल्प चयन एवं प्रवेश प्रक्रियाः–

6.1 द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया उपरांत ऑनलाइन स्पॉट एडमीशन चरण में मूल सीटों के विरूद्ध शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जावेगा।

6.2 स्पॉट एडमीशन चरण में समय–सारणी अनुसार रिक्त आरक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त रिक्त सीटें नियमानुसार सामान्य वर्ग के आवेदकों हेतु परिवर्तित की जायेंगी।

6.3 प्रथम चरण में प्रवेश लेकर, निरस्त कराने वाले आवेदक को अगले चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन वरीयता/विकल्प पुनः देना अनिवार्य है।

6.4 पुनः वरीयता (च्वाइस फिलिंग) हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

6.5 आवेदक जिन्होंने पूर्व में अपना पंजीयन नहीं कराया है, समय–सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान कर पंजीयन कर सकेंगे। ई–सत्यापन पश्चात् स्पॉट एडमीशन चरण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

7. प्रवेश निरस्तीकरण प्रक्रिया –

1. ऑनलाइन प्रवेश सत्र 2026–27 से प्रवेश निरस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।
2. आवेदक को विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश निरस्त कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. आवेदक को प्रवेश निरस्तीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. आवेदक द्वारा निरस्तीकरण आवेदन सबमिट करने पर उनके द्वारा पूर्व में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. दर्ज करने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा। जिसकी पावती आवेदक को ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी।

7.1 निरस्तीकरण पश्चात शुल्क वापसी प्रक्रिया–

प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निरस्तीकरण कराने पर आवेदक को अपना खाता क्रमांक एवं आईएफएससी कोड भी दर्ज करना होगा जिसमें की प्रवेश शुल्क की राशि वापस की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 60 दिवस के अंदर प्रवेश निरस्त कराने पर सम्पूर्ण शुल्क वापस किया जाएगा। इस अवधि के पश्चात प्रवेश निरस्त कराने पर कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8. रूक जाना नहीं अंतर्गत प्रवेश – ई–प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में रूक जाना नहीं योजना अन्तर्गत उत्तीर्ण आवेदक, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान/दस्तावेज अपलोड/पाठ्यक्रम चयन कर ई–प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर ई– सत्यापन पश्चात ऐसे आवेदक अर्हता पूर्ण होने पर गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परीक्षा परिणाम घोषित

न होने की स्थिति में ऐसे आवेदक स्वाध्यायी (प्राइवेट) विद्यार्थी के रूप में शामिल होकर, अगले वर्ष पात्रता पूर्ण करने एवं स्थान रिक्त होने की दशा में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

9. **शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर पाल्यों के प्रवेश** – शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पाल्य को विश्वविद्यालय में आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर प्रचलित सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. पूरक प्राप्त आवेदकों के प्रवेश –

10.1 ऑनलाइन चरण में अर्हकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों हेतु रिक्त सीटों पर पात्र आवेदक उपलब्ध न होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर प्रावधिक प्रवेश हेतु ऑनलाइन सी. एल.सी चरण में प्रवेश दिया जावेगा।

10.2 प्रावधिक प्रवेश के लिए अर्हताकारी परीक्षा में पूरक प्राप्त उन्हीं आवेदकों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने अपना पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/पाठयक्रम चयन/ ई–सत्यापन निर्धारित तिथियों में ही करवा लिया है।

10.3 पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम घोषित न होने की दशा में गुणानुक्रम के आधार पर अवसर प्राप्त होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश लेना होगा। स्थान रिक्त होने पर स्पॉट एडमीशन चरण में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

नोट– इस हेतु पूरक परीक्षा परिणाम वाली अंकसूची ही ऑनलाईन पंजीयन के समय अपलोड करनी होगी ।

10.4 प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत निर्धारित समय सारणी अनुसार उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की जानकारी अद्यतन कराना होगा। जिससे आवेदक का प्रवेश निरंतर/निरस्त किया जा सके। प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण घोषित होने पर आवेदक का प्रवेश निरस्त होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा 100/– प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापस की जाएगी।

11. म.प्र. शासन द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु हितग्राही योजनाएँ –

मध्यप्रदेश शासन की हितग्राही योजनाओं की समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हाईपरलिंक के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

11.1 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी (MMVY) योजना –

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रंमाक 866/342/सी.सी./2017 दिनांक 24 जून 2017 के तहत प्रदेश में प्रतिभाशाली आवेदकों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के अनुक्रम में सत्र 2017–18 से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना संचालित है।

11.1.1 पात्रता की शर्तें –

i. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
ii. विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम हो।
iii. विद्यार्थी ने 12वीं परीक्षा मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल से 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई/आई.सी.एस.ई बोर्ड से 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण की हो।

11.1.2 योजना का स्वरूप–

यह योजना स्नातक स्तर में प्रवेश प्राप्त करने हेतु लागू की गई है। योजना के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश/पात्रता संबंधी समय–समय पर जारी शासन के निर्देशों का पालन किया जावेगा। स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्राप्त होने पर विद्यार्थी को इस योजनान्तर्गत संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं

कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा।

11.1.3 स्पष्टीकरण – प्रवेश प्राप्त पात्र विद्यार्थियों को केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क की प्रविष्टि हेतु पिछली परीक्षा के शुल्क को आधार माना जा सकता है।

11.2 मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना) (MMJKY) –

मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक ए।–14–2/2008/42–2 दिनांक 21 अगस्त 2018 के तहत प्रवेश दिया जावेगा। हेतु समय समय पर जारी आदेशों का पालन भी सुनिश्चित किया जावेगा।

11.2.1 पात्रता की शर्तें –

i. यह योजना स्नातक एवं स्तातकोत्तर दोनों स्तरों पर प्रदान की जावेगी।
ii. विद्यार्थी के माता/पिता का म.प्र. शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।

11.2.2 योजना का स्वरूप –

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 525/484 आउशि/शा–'अ'/2018 भोपाल दिनांक 30 जून 2018 के तहत राज्य शासन के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्नातक (प्रथम/द्वितीय /तृतीय वर्ष) एवं स्नातकोत्तर प्रथम या द्वितीय वर्ष के पारम्परिक एवं स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रवेश (लेकिन मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) दिया जायेगा।

11.2.3 स्पष्टीकरण – स्नातक/स्नातकोत्तर के पात्र विद्यार्थियों को इस योजनान्तर्गत प्रवेश प्राप्त होने पर केवल मैस शुल्क एवं कॉशन मनी का भुगतान करना होगा तथा अन्य शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क सहित) एवं परीक्षा शुल्क राज्य शासन द्वारा देय होगा।

11.2.4 विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण – उपरोक्त दोनों योजनाओं (मेधावी/जनकल्याण) के लाभ प्राप्त करने से पूर्व विद्यार्थी राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य हितग्राही योजनाओं का भली–भांति अध्ययन करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क भुगतान के समय इन योजनाओं का चयन करें।

11.3 मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना – मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1373/2021/50–2 भोपाल, दिनांक 21.05.2021 के अनुसार।

11.3.1 योजना का उद्देश्य –

इस योजना का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह करते हुये अपनी शिक्षा निर्विध्न रूप से पूरी कर सकें। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू की गयी है।

11.3.2 परिभाषा –

परिवार से अभिप्राय पति–पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है।

बाल हितग्राही से अभिप्राय ऐसे बालक/बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्तानक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में, 24 वर्ष या स्नातक पाठयक्रम की निर्धारित अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो (परिशिष्ट 3.2) और जिनके माता–पिता की कोविड–19 से मृत्यु हई हो (परिशिष्ट 3.2.1) या माता–पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड–19 से मृत्यु हुई हो (परिशिष्ट 3.2.2) या माता–पिता में से

किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड–19 से मृत्यु हुई है। (परिशिष्ट 3.2.3)

"कोविड–19 से मृत्यु" का अभिप्राय ऐसी किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च, 2021 से 30 जून 2021 तक अवधि मे हुई।

11.3.3 योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि –

प्रभावित परिवार मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो, मुख्यमंत्री कोविड–19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं हो, बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता ऐसे शासकीय सेवक या शासकीय उपक्रम के सेवक न हों जिन्हें पुरानी स्कीम के अंतर्गत पेंशन पाने की पात्रता हो।

11.3.4 बाल हितग्राही के मृतक माता/पिता/अभिभावक की कोविड–19 से मृत्यु होने से, वे अनाथ हो गये हैं, को उच्च शिक्षा सहायता निम्नानुसार देय होगी –

(अ) शासकीय अथवा केंद्र/राज्य शासन से अनुदानित विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में हितग्राहियों की प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क सहित अन्य समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क सहित) का लाभ देय होगा साथ ही कॉशनमनी जमा कराने से छूट रहेगी। बाल हितग्राहियों को प्रवेश निःशुल्क होगा। समस्त शुल्क की संबंधित संस्था को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ब) ऐसे निजी विश्वविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालयों में जहाँ शुल्क का निर्धारण मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा नियत किया जाता है, उनमें अध्ययनरत होने पर उक्त कंडिका – 'अ' अनुसार समस्त वार्षिक वास्तविक शुल्क या रूपये 15,000 जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति बाल हितग्राही के आधार – लिंक्ड बैंक खाते में की जावेगी।

11.3.5 इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी जो पूर्व से किसी पाठ्याक्रम में अध्ययनरत हैं, उन्हें भी योजना लागू वर्ष के लाभ प्रदान किया जा सकेगा।

11.3.6 यह स्पष्ट किया जाता है कि बाल हितग्राही को उच्च शिक्षा हेतु किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने पर उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित वर्षों के लिए ही शिक्षा प्राप्ति संबंधी लाभ प्राप्त कनने की पात्रता होगी।

11.3.7 शासन की अन्य योजनाओं का लाभ– मुख्यमंत्री कोविड–19 बाल कल्याण योजना का लाभ, बाल हितग्राही को शासन की अन्य योजनाओं के अंतर्गत देय लाभ के अतिरिक्त होगा किन्तु बाल हितग्राही को शिक्षा शुल्क आदि का दोहरा भुगतान किसी अन्य योजना से नहीं होगा ।

11.4 लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 –

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत छात्राओं को स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25,000/– की प्रोत्साहन राशि 02 समान किश्तों में पाठयक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जावेगी। लाड़ली लक्ष्मी बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु स्नातक स्तर तक का शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य –

1. मध्यप्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना।
2. आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना।
3. समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
4. बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना।

पात्रता की शर्त –

1. एक जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका।
2. माता–पता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों।
3. माता–पिता आयकर दाता न हों।

4. माता–पिता जिनकी 02 से 02 से कम संतान हों, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो ।

विशेष– उपरोक्त पात्रता शर्तों के अतिरिक्त पात्रता हेतु लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 में उल्लेखित विशेष प्रकरण संबंधी प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।

योजना का लाभ –

i. लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12 वीं के पश्चात स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठयक्रम अवधि न्यूतनम 02 वर्ष) प्रवेश लेने पर रूपए 25,000/– की प्रोत्साहन राशि 02 समान किश्तों मं पाठयक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जावेगी।

ii. लाड़ली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा।

12. वन–स्टेप–अप योजनान्तर्गत प्रवेश (स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षणों हेतु) –

12.1 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों हेतु वन–स्टेप–अप योजनांतर्गत प्रायमरी/ मिडिल स्कूल शिक्षकों के लिए केवल शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम व शर्तें म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. F44.27/2015/20.2, दिनांक 18 जून 2015 के अनुसार रहेंगी। इस हेतु स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर उल्लेखित पाठयक्रमों/विषयों में महाविद्यालय में सीटों के 02 प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेंगे।

12.2 वन–स्टेप–अप योजना के अंतर्गत प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन/दस्तावेज अपलोड/पाठयक्रम चयन/ ई–सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, आवेदकों को प्रदेश समय सारणी अनुसार पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

13. विधि संकाय (एल.एल.एम.) हेतु नियमित प्रवेश प्रक्रिया –

(अ**)** एल पंचवर्षीय / त्रिवर्षीय .बी.एल.एल) में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा .एम.एल.पाठ्यक्रममें सामान्य वर्ग (एवं अन्य पिछडा वर्ग हेतु न्यूनतम अंक **55** प्रतिशत होंगे।

(ब) अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को नियमानुसार **5** प्रतिशत की छूट रहेगी।

विशेष टीपः न्यायालयीन निर्णय अनुसार **54.5** प्रतिशत अंक प्राप्त विद्यार्थी भी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।

14. प्रावधिक प्रवेश हेतु पात्रता –

14.1 स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदको को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य हैं।

14.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष / छटवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष प्रथम से चतुर्थ/पंचम सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा। स्नातक अंतिम वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में स्थान रिक्त होने पर प्राबधिक प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

14.3 विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रथम सेमेस्टर परीक्षा फार्म भरने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा नियमानुसार अर्हकारी परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर ली गई है। अर्हकारी की परीक्षा (स्नातक पाठ्यक्रम) में किसी भी स्तर पर पूरक/ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरने हेतु पात्र नहीं होंगे।

14.4 प्रावधिक प्रवेश प्राप्त आवेदक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीट आवंटित होने पर स्वयं के दायित्व/जिम्मेदारी पर प्रवेश लेंगे। अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रावधिक रूप से प्रवेशित विद्यार्थी नियमित प्रवेश से वंचित हो जाएगा।

14.5 स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों की पात्रता के अनुसार क्रमशः स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

15. प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया

स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के प्रवेश नवीनीकरण का कार्य संबंधित पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस की समय–सीमा में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किया जाएगा।

स्नातक चतुर्थ वर्ष के संबंध में दो विकल्प होंगे –

1. स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स (सभी तृतीय वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थी)
2. स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स विथ रिसर्च (केवल 7.5 सीजीपीए से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे)
3. विद्यार्थी केवल मेजर विषय में ही प्रवेश ले सकेंगे।
4. स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स /ऑनर्स विथ रिसर्च में प्रवेश अध्ययनरत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ही लिया जा सकेगा।
5. स्नातक चतुर्थ वर्ष ऑनर्स /ऑनर्स विथ रिसर्च का विकल्प विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में न मिलने की दशा में जिला अंतर्गत निकट के अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे।
6. स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिया जा सकेगा।

15.1 पूर्व में संचालित पाठ्यक्रमों में निम्न प्रावधान होंगे–

स्नातक स्तर हेतु पात्र विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष /प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा। शेष वर्गों में (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष)/शेष सेमेस्टरों में (तृतीय, पंचम एवं सप्तम सेमेस्टर) प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया होगी। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन ही होगी।

15.2 वार्षिक प्रणाली में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष उत्तीर्ण /एक विषय में पूरक प्राप्त विद्यार्थी को आगामी वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

15.3 सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत तृतीय/पंचम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पिछले सेमेस्टर में उत्तीर्ण /किसी भी एक सेमेस्टर में दो तथा एक समय में अधिकतम चार विषयों में एटीकेटी प्राप्त विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्न पत्रों में एटीकेटी की पात्रता नहीं होगी।

15.4 सत्र 2025–26 में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर आर्डिनेंस 14(1) के प्रावधान लागू होंगे (आर्डिनेन्स संलग्न है) तथा पूर्व वर्षों में प्रवेशित विद्यार्थियों पर पूर्वानुसार आर्डिनेंन्स (14 ए) व आर्डिनेंन्स (14 बी) लागू होंगे।

15.5 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमा में सत्र 2025–26 से प्रवेशित विद्यार्थियों पर अध्यादेश 14 (2) लागू होगा।

15.6 स्नातकोत्तर स्तर हेतु पात्र विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में ही ऑनलाइन प्रवेश दिया जाएगा। तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी। तृतीय सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) में उत्तीर्ण/किसी एक सेमेस्टर से दो तथा एक समय में कुल 4 प्रश्नपत्रों में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों को पात्रता होगी। लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों से ए.टी.के.टी. की पात्रता नहीं होगी।

15.7 शासकीय सेवक के स्थानान्तरित होने पर उनके पाल्यों के प्रवेश संबंधी निर्देश–

कंडिका 23.1 (अ) में उल्लेखित शासकीय सेवक स्थानान्तरित होने पर प्रदेश में वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत उनके पाल्यों को पाठ्यक्रम के बीच में स्नातक–स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र तथा आव्रजन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। स्नातकोत्तर–स्तर पर प्रवेश के लिये आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

15.8 **स्वाध्यायी (प्राईवेट) से नियमित प्रवेश संबंधी प्रावधान –** मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 97/380/सीसी/14/38, दिनांक 16 फरवरी 2015 अनुसार ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी सत्र में नियमित प्रवेश से वंचित हो जाते हैं, यह विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं तथा परीक्षा उपरान्त विश्वविद्यालय से संबंधित कोर्स/विषय में स्थान रिक्त होने पर पात्रतानुसार स्नातक स्तर पर द्वितीय/तृतीय वर्ष में तथा तृतीय/पंचम सेमेस्टर में एवं स्नातकोत्तर स्तर पर (विज्ञान व प्रायोगिक विषयों को छोड़कर) तृतीय सेमेस्टर में नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

16. राज्य शासन के आदेश क्र. 1815/1929/2018/36–2, दिनांक 19.12.2018 के तहत ऐसे सभी नियमित/असंस्थागत विद्यार्थी जिन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हैं, वह सत्र 2025–26 में वार्षिक पद्धति के अंतर्गत स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश ले सकेंगे तथा ऐसे सभी असंस्थागत विद्यार्थी जो सत्र 2024–25 की स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वे विद्यार्थी सत्र 2025–26 में स्नातक स्तर के द्वितीय/तृतीय वर्ष में स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश ले सकेंगे।

17 **पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) के नियमित प्रवेश संबंधी निर्देश –** जिन विद्यार्थियों को पूर्व छात्र की श्रेणी में रखा गया था वे अगामी सेमेस्टर/वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उत्तीर्ण होने की दशा में जुलाई माह से प्रारंभ होने वाले सत्र में स्थान रिक्त होने पर नियमानुसार शुल्क जमा करने पर नियमित प्रवेश दिया जाएगा।

18 **सर्टिफिकेट कोर्स चयन प्रक्रिया –**

विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित छ माह के सर्टिफिकेट कोर्स में संस्था में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे विद्यार्थियों की जानकारी विश्वविद्यालय स्तर से सर्टिफिकेट कोर्सवार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के 30 दिवस की समयावधि में अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

19 **समकक्ष बोर्ड संबंधी प्रवेश नियम :–**

19.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.)/इण्डियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं।

19.2 उच्च शिक्षा विभाग की ई–प्रवेश प्रक्रिया के पोर्टल से सम्बद्ध होने के लिए देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल से समकक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त कर उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात् ही ऐसे बोर्ड ऑनलाइन ई–प्रवेश पोर्टल पर मान्य सूची में प्रदर्शित होंगे, ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर प्रदर्शित बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पंजीयन कर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

19.3 विदेशी बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक ने यदि मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में पंजीयन करवाया है ऐसी स्थिति में आवेदक को केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र अपलोड करने पर पात्रता अनुसार ई–प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा।

19.4 सामान्यतः भारत में स्थिति विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएं राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।

19.5 संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता–विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होंगी।

19.6 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय जैसे लेबोरेट्री, मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लीनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयलाजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय और प्रिंटिग ऑफ डाटा –प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, डी.टी.पी. पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्कशाप प्रैक्टिस आदि सम्मिलित है। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ऑनलाइन पंजीयन के समय संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन की पावती अपलोड करना आवश्यक होगा। किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र को अंतिम माना जायेगा। विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार प्रवेश के समय आवेदक की पात्रता के परीक्षण का संपूर्ण दायित्व संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा। आवंटन का तात्पर्य यह कदापि नही होगा कि आवेदक प्रवेश की पात्रता पूर्ण करता है।

19.7 मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की ''उत्तर मध्यमा परीक्षा'' को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।

20. प्रवेश की पात्रता :–

20.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(अ) मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी, मध्यप्रदेश में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय सेवक, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन मध्यप्रदेश में हो, उनके पाल्यों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों/भूटान के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ब) उपरोक्तानुसार प्रवेश के पश्चात स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर विश्वविद्यालय की पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

(स) संबंधित विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही विश्वविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(द) जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विस्थापितों एवं उनके पाल्य/पाल्या के लिय निम्न प्रावधान लागू होंगेः–

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में अधिकतम 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट, अगर आवेदक पात्रता की अन्य शर्ते पूरी करता हो। (विधि पाठ्यक्रमों को छोड़कर)
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि ।
4. स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षों में आव्रजन की सुविधा।

6. व्यवसायिक पठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर एक प्रतिशत का आरक्षण।

(य) प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए Technical Eduoation (AICTE), New Delhi द्वारा प्रदेश में (12 B UGC के तहत मान्य) विश्वविद्यालय अनुसार पात्रता सुनिश्चित की जायेगी।

21. विशेष प्रकरण संबंधी प्रवेश हेतु पात्रता/अपात्रता :–

21.1 किसी भी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को (विधि संकाय को छोड़कर) अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।

21.2 विश्वविद्यालय में तोड़–फोड़ करने या विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैंगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञापन क्रं. एफ–1–16/2007 (सी.पी.पी.II) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्रं. 829/469/आउशि/शा–1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी लागू रहेगी।

21.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है।

22. बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :–

22.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी./बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय–समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

22.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय–समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

22.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।

22.4 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।

22.5 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

22.6 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

23. आरक्षण :–

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :–

23.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का

है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेगी।

23.2 अनुसूचित जाति (अ.जा) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा) के आवेदकों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

23.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681–227–इक्कीस–अ(प्रा.)अधि.दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी.5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निणर्य के अधीन लागू किया जायेगा)

23.4 स्वतत्रंता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्त्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपर्वू तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence Personnel) के आश्रितों /सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिये तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्षों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगाः–

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित–परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैंडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैंडल, सेना/नौसेना/वायु सेना मैंडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैंडल।
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

23.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण–पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।

23.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गः– आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा–5'अ'/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा। पंजीयन के समय ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।

23.7 एन.सी.सी. ''सी'' प्रमाण–पत्र उर्त्तीण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 01 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

23.8 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

23.9 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीड़ा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

23.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

24. अधिभार :–

अधिभार हेतु प्रमाण–पत्र संबंधी :–

(अ) स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिभार हेतु आवेदक स्कूल स्तर के विगत चार क्रमिक सत्र (अर्थात् सत्र 2021–22 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण–पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(ब) स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अधिभार हेतु स्नातक स्तर में आवेदक के विगत तीन क्रमिक सत्र (अथार्त सत्र 2022–23 के पूर्व के मान्य नहीं होंगे) तक के प्रमाण पत्र ही पंजीयन के समय अपलोड कर सकेंगे।

(स) अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नही किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन –पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये पंजीयन आवेदन पत्र में उल्लेखित, संबंधित प्रमाण–पत्र अनिवार्यतः अपलोड करने होंगे। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

- खेलकूद विधा में महाविद्यालय में कुल सीट संख्या के अतिरिक्त 5 सीट खेलकूद में ''ए'' श्रेणी प्राप्त विद्यार्थियों के लिए आउटराईट के आधार पर सुरक्षित होंगी। (24 मई 2022 के आदेशानुसार)
- कला–संस्कृति (युवा उत्सव)/एन.सी.सी.–एन.एस.एस.–स्काउट एवं रेडक्रास सोसायटी में शामिल 'ए' श्रेणी प्राप्त आवेदकों के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में कुल सीट के अतिरिक्त 5–5 सीट आउटराईट के आधार पर आवंटित करने के लिए सुरक्षित होंगी।
- राज्य/संभाग/जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आवेदकों के लिए बी, सी और डी में अधिभार के आधार पर, गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- आउटराईट के आवेदकों की संख्या अधिक होने पर स्वतः सीटों में वृद्धि की जायेगी।

24.1. खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए –

श्रेणी A विशेष प्रोत्साहन – आउटराइट (Outright)

1.	ओलंपिक खेल / वर्ल्डकप चैम्पियनशिप / वर्ल्डकप / कॉमनवेल्थ गेम्स/एशियन गेम्स/ एशियन चैम्पियनशिप/ साउथ एशियन गेम्सपैरालंपिक गेम्स/अंतर्राष्ट्रीय यूथ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी	(अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा।)
2.	एस.जी.एफ.आई. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित अधिकृत भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 3 वर्ष में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता जूनियर प्रतियोगिता/राष्ट्रीय खेल/फेडरेशन कप/सीनियर नेशनल इंटर जोनल नेशनल/नेशनल स्कूल गेम्स/अंडर 17/19/खेलो इंडिया स्कूल/यूथ गेम्स अंडर 17/21/यूथ/जूनियर	

नेशनल सब जूनियर/जोनल नेशनल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त/प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को।	

श्रेणी B – (प्रतिशत अधिभार)

स्टेट प्रतियोगिता/इंटर जोनल एवं मध्यप्रदेश राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय / अंतर संभाग / अंतर जिला/सीबीएससी/ केवीएस/आईपीएससी/डीएवी/ एनवीएस/ विद्या भारती प्रतियोगिता के अंतर्गत	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	15 प्रतिशत अधिभार
	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	10 प्रतिशत अधिभार

श्रेणी C – (प्रतिशत अधिभार)

लोक शिक्षण संचालनालय अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/संभाग स्तर जिले की प्रतियोगिता सीबीएससी क्लस्टर/केवीएस/एनवीएस, डी.एव्ही./ विद्या भारती/सुब्रतो कप/ स्कूल स्पोर्ट्स (जिला, स्पोर्ट्स एसोसिएशन/जिला/डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन/जिला स्कूल बोर्ड से प्रमाणित) के अंतर्गत	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को	10 प्रतिशत अधिभार
	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	5 प्रतिशत अधिभार

24.2 कला–संस्कृति (युवा उत्सव आदि) की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए

श्रेणी A विशेष प्रोत्साहन – आउटराइट (Outright)

अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय स्थान एवं प्रतिभागिता पर राष्ट्रीय युवा उत्सव में सहभागिता पर	**गतिविधियाँ–** ● नृत्य (भारतीय शास्त्रीय/लोक), गायन (हिन्दुस्तानी/ पाश्चात्य शास्त्रीय/सुगम/लोक/पाश्चात्य सुगम) ● क्विज ● रचनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) ● डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी/एनीमेशन/फिल्म मेकिंग) ● संगीत वादन (हिन्दुस्तानी/पाश्चात्य) ● फाइन आर्ट्स (स्केचिंग/पेंटिंग/स्कल्पचर) ● थियेटर ● वादविवाद (हिन्दी एवं अंग्रेजी) ● विज्ञान संबंधी गतिविधियाँ	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

श्रेणी – B, C एवं D (प्रतिशत अधिभार)

(नृत्य भारतीय शास्त्रीय/लोक, गायन हिन्दुस्तानी/पाश्चात्य शास्त्रीय/सुगम लोक पाश्चात्य सुगम) क्विज रचनात्मक लेखन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) डिजिटल मीडिया (फोटोग्राफी/एनीमेशन/ फिल्म मेकिंग) संगीत वादन (हिन्दुस्तानी/पाश्चात्य) फाइन आर्ट्स (स्केचिंग/पेंटिंग/ स्कल्पचर) ललितकला थियेटर डिबेट (वादविवाद हिन्दी एवं अंग्रेजी)	अ.	राज्य स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान एवं प्रतियोगिता पर	15 प्रतिशत अधिभार
	ब.	संभाग स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	10 प्रतिशत अधिभार
	स.	जिला स्तर पर प्रथम / द्वितीय / तृतीय स्थान प्राप्त होने पर अधिभार हेतु पात्रता होगी परन्तु प्रतिभागिता सम्मिलित नहीं होगी	05 प्रतिशत अधिभार

24.3 एन.सी.सी. / एन.एस.एस / स्काउट्स (स्काउट / गाईड्स / रेन्जर्स) एवं रेडक्रास सोसायटी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों हेतु–

श्रेणी A विशेष प्रोत्साहन – आउटराइट (Outright)

1.	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मध्यप्रदेश एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कान्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	अर्हता पूर्ण होने पर पात्रता अनुसार बिना किसी गुणानुक्रम के सीट निर्धारण के साथ आउटराइट प्रवेश प्रदान किया जायेगा
2.	राष्ट्रपति स्काउट	
3.	मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	
4.	ड्यूफ ऑफ एडिनबरा अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	
5.	भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट	
6.	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	

श्रेणी B – (प्रतिशत अधिभार)

1.	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	10 प्रतिशत
2.	राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन.सी.सी. प्रतियोगिता	
3.	राज्यपाल स्काउट	

श्रेणी C – (प्रतिशत अधिभार)

1.	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'ए' सर्टिफिकेट	7 प्रतिशत
2.	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	

श्रेणी D – (प्रतिशत अधिभार)

1.	भारतीय रेडक्रास सोसयटी द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए	5 प्रतिशत
2.	एन.सी.सी. / एन.एस.एस. द्वारा प्रमाणित उत्कृष्ट के लिये	

24.4 ऑनर्स विषय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर – 10 प्रतिशत

24.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साइंस एण्ड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को – 10 प्रतिशत

24.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को – 01 प्रतिशत

24.7 स्थानीय विद्यार्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता (स्थानीयता का निर्धारण प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम संबंधित शैक्षणिक योग्यता निकट के स्कूल / महाविद्यालय से उत्तीर्ण होने के आधार पर दी जाएगी।) – 5 प्रतिशत

25. प्रवेश संबंध विशेष प्रावधान –

25.1 जाली प्रमाण–पत्रों के आधार पर या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है तथा संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार कुलसचिव को होगा।

25.1.1 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पंद्रह दिवस तक ऑनलाइन/ऑफलाइन कक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। प्रवेश निरस्त करने से पूर्व संस्था द्वारा विद्यार्थी/अभिभावक को अनुपस्थिति की सूचना प्रदान करते हुए कारण जानना होगा। तदोपरान्त ही समुचित कारण होने पर प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त करने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। कुलसचिव द्वारा प्रवेश निरस्त करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।

25.1.2 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान अनुशासनहीनता के प्रसारण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

26 प्रवेश शुल्क वापसी की प्रक्रिया :–

26.2.1 प्रावधिक प्रवेश पश्चात् अनुत्तीर्ण घोषित होने की स्थिति में विद्यार्थी को प्रवेश प्रक्रिया शुल्क रुपये 100/– काटकर शेष जमा प्रवेश शुल्क (कॉशन मनी सहित) वापस किया जायेगा।

26.2.2 प्रवेश पश्चात् शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी के निष्कासन की स्थिति में विद्यार्थी को कॉशन मनी के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

26.2.3 प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थी का तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को यू.जी.सी. के नोटिफिकेशन अक्टूबर 2018 के तहत विश्वविद्यालय द्वारा राशि वापस की जावेगी।

रिमार्क – यू.जी.सी. द्वारा सूचित वैधानिक प्रोफेशनल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत माने जायेंगे।

27 हितग्राही योजना परिवर्तन–

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री मेधावी योजना / मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना / लाड़ली लक्ष्मी योजना / मुख्यमंत्री कोविड–18 बाल कल्याण योजना में विद्यार्थी परिवर्तन कर सकेंगे। योजना परिवर्तन करने पर नियमानुसार प्रवेश शुल्क जमा / वापस करना अनिवार्य होगा।

28 विषय/पाठ्यक्रम/संकाय परिवर्तन–

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार घोषित समय सीमा में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु पात्रता अनुसार संबंधित संकाय/कक्षा/विषय में स्थान रिक्त होने पर परिवर्तन संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित समय सीमा में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर पात्रता/गुणानुक्रम का उल्लंघन न होने की शर्त पर विषय / पाठ्यक्रम / संकाय में परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी। सामान्य / परम्परागत पाठ्यक्रमों से विधि पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण की प्रक्रिया नहीं होगी।